

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-17/विविध-01-45/2021

पटना, दिनांक :- / / 2025

विभागीय आदेश संख्या-914(1) दिनांक-06.10.2020-सह-पठित-शुद्धि पत्र संख्या- 915(1) दिनांक-10.10.2020 में निहित शर्तों के आलोक में डॉ० हिमांशु कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), सदर अस्पताल, लखीसराय को INI-SS- January 2025 Session के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा (M.Ch) सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रम में कौंसिलिंग/नामांकन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि नामांकन नहीं होने अथवा चयनोपरान्त अध्ययन अवकाश पूर्ण होने के तत्काल बाद तीन वर्षीय बॉण्ड आधारित सेवा पूर्ण करेंगे।

2. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा उपर्युक्त आदेश में निहित शर्तों के आलोक में संबंधित चिकित्सक से उच्चतर शिक्षा सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रम हेतु आवंटित संस्थान का साक्ष्य एवं शपथ-पत्र प्राप्त कर सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रम करने के लिए ही अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आश्वस्त हो लेंगे कि उपर्युक्त चिकित्सक को अनापत्ति प्रमाण पत्र सिर्फ सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रम करने के लिए ही दिया जा रहा है न कि अन्य किसी पाठ्यक्रम के लिए।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० सं०-17/विविध-01-45/2021 - 05/17

पटना, दिनांक :- 03/01/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

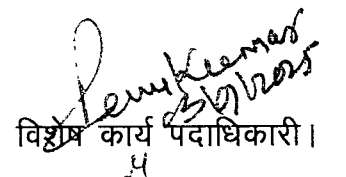
प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन, बिहार/प्रभारी उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बिरौल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० हिमांशु कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), सदर अस्पताल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03, 08, 09 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।